हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 दिसम्बर, 2009

संख्या लैज़ 31/2009.—दि हरियाणा म्यूनिसिपॅल (ॲमेन्ड्मॅन्ट) ऐक्ट, 2009, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 25 नवम्बर, 2009 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2009 का हरियाणा अधिनियम संख्या 23

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2009

**हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,
1973, को आगे संशोधित
करने के लिए
अधिनियम**

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2009, कहा जा सकता है।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 14 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 14 की उपधारा (1) के परन्तुक में, ''अवसर न दे दिया गया हो'' शब्दों के बाद, ''या सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय न दिया गया हो'' शब्द रखे जाएंगे।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 22 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 22 के परन्तुक में, ''अवसर न दे दिया गया हो'' शब्दों के बाद, ''या सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय न दिया गया हो'' शब्द रखे जाएंगे।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 57क तथा 57 ख का रखा जाना।

4. मूल अधिनियम की धारा 57 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"57क. निर्धन निधि की सेवाओं का गठन .- (1) निर्धन निधि सेवा के नाम से निर्धन तथा गंदी-बस्ती क्षेत्रों के निवासियों को सेवाएं देने के लिए अलग से निधि का गठन किया जायेगा। यह निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(i) गंदी-बस्ती क्षेत्र में किसी व्यक्ति या उसनें स्थित किसी सम्पत्ति पर किसी

किराये, कर, जुर्माना, उपशुल्क या उपकर द्वारा जुटाए गए सभी धन;

(ii) केन्द्रीय/राज्य या किसी अन्य एजेंसी से गंदी-बस्ती क्षेत्र के विकास के लिए प्राप्त कोई अनुदान ;

(iii) निर्धन की सेवा के लिए किसी व्यष्टि या व्यष्टि-संगम से अनुदानों या उपहारों या निक्षेपों के रूप में प्राप्त धन;

(iv) समिति द्वारा या समिति की ओर से या विशिष्ट रूप से इस निधि के लिए बने किसी स्रोत से प्राप्त सभी धन; तथा

((v) कोई निधि जो आयुक्त द्वारा नगरपालिका निधि से इस निधि के प्रयोजन को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट मुख्य लेखा शीर्ष के अधीन अंतरित की जा सकती है।

"**57 ख. निर्धन निधि की सेवाओं का उपयोग**.- (1) निधि निर्धन तथा गंदी-बस्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिए सेवाएं प्रोन्नत करने हेतु उपयोग में लाई जाएगी तथा समिति प्रयास करेगी कि प्रतिवर्ष कम से कम,—

(i) कुल राजस्व आय का 20 प्रतिशत ;

(ii) राजस्व व्यय का 20 प्रतिशत ; या

(iii) कुल पूंजी व्यय का 25 प्रतिशत,

जो भी अधिक हो, निर्धन तथा गंदी-बस्ती क्षेत्रों के निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए खर्च किया गया हो।

व्याख्या.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''सेवाओं'' में मूल पर्यावरण-संबंधी सेवाएं, सड़कें, प्राथमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य, आवास, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा तथा इसी तरह की ऐसी सेवाएं शामिल होंगी। तथापि, इसमें स्थापना खर्चे (वेतन तथा मजदूरी सहित) जो प्रत्यक्ष रूप से तथा विशेष रूप से सेवा प्रदान करने के लिए खर्च नहीं किए गए हैं शामिल नहीं होंगे ।''।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 142 का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 142 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"142. **मल-प्रणाल कनेक्शन.**- समिति, किसी भी समय, किसी मुख्य नल, नाली या मल-प्रणाल से किन्हीं परिसरों में संचार कनेक्शन स्थापित कर सकती है, या ऐसे नोटिस द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जैसा समिति इस निमित्त नोटिस में विनिर्दिष्ट करे, ऐसे स्वामी या अधिभोगी की लागत पर, जहां ऐसा मुख्य नल, नाली या मल-प्रणाल स्थित है ऐसा कोई संचार कनेक्शन

स्थापित करने के लिए ऐसे किन्हीं परिसरों के स्वामी से अपेक्षा करेगी ।''।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 214 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 214 के परन्तुक में ,—

(i) अंत में विद्यमान '।' चिह्न के स्थान पर, ':' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि धारा 200 के खण्ड (भभभ) के अधीन भंग या भंग का कोई दुष्प्रेरण ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपये से कम तथा एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगा तथा भंग जारी रहने की दशा में, प्रथम भंग जिसके दौरान भंग जारी रहता है के बाद प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये के और जुर्माने से दण्डनीय होगा ।''।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 277क का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 277क में, ''लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य)'' शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, ''जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

कमल कान्त,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

46590—L.R.—H.G.P., Chd.